



# जालौन पुलिस



**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त छोटू पुत्र वहीद खां नि० मु० पत्थर थाना कोतवाली भिण्ड जनपद भिण्ड म०प्र० के विरुद्ध थाना कोंच में मु०अ०सं०- 546/15 धारा 394 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 20.02.2024 को मान० एडीजे/ स्पे० डकैती कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त छोटू उपरोक्त को 08 वर्ष का कठोर कारावास 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल महेन्द्र  
विक्रम सिंह



कोर्ट पैरोकार आरक्षी हृदेश कुमार

X @jalaunpolice

Instagram jalaunpolice

f JalaunPolice